



खनजि नियमों में संशोधन

प्रलिस के लयः

खनजि की वशिषताएँ; खनजि (खनजि सामग्री के साक्ष्य) नयिम, 2015 और खनजि (नीलामी) चौथा संशोधन नयिम, 2021; राष्ट्रीय खनजि नीति 2019; भारत में खनजि ।

मेन्स के लयः

भारत का खनन क्षेत्र, भारत में खनजि वतऱरण, खनजि नयिमों में संशोधन और इसका महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

खनजि (खनजि सामग्री के साक्ष्य) दूसरा संशोधन नयिम, 2021 और खनजि (नीलामी) चौथा संशोधन नयिम, 2021 को अधसूचति कयिा गया है ।

- ये दोनों नयिम क्रमशः खनजि (खनजि सामग्री के साक्ष्य) नयिम, 2015 [एमईएमसी नयिम] और खनजि (नीलामी) नयिम, 2015 [नीलामी नयिम] में संशोधन करते हैं ।
- इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने [खान और खनजि \(वकिस तथा वनियमन\) संशोधन वधियक, 2021](#) को मंजूरी दी थी ।

खनजि (खनजि सामग्री के साक्ष्य) नयिम, 2015:

- खनजि (खनजि सामग्री के साक्ष्य) नयिम, 2015 को जून 2021 में संशोधति कयिा गया है ताक अन्य बातों के साथ-साथ उन क्षेत्रों के संबंध में एक समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीलामी का प्रावधान कयिा जा सके जहाँ कम-से-कम टोही सर्वेक्षण (जी4) स्तर पूरा हो चुका हो अथवा जहाँ उपलब्ध भू-वज्जान के आँकड़ों के आधार पर ब्लॉक की खनजि क्षमता की पहचान कर ली गई हो लेकनि संसाधन अभी तक स्थापति नहीं कयिा गए हैं ।
 - एक टोही सर्वेक्षण कसिी वशिषिट स्थान एवं वशिषिट समय में संभावति ऐतहासकि संसाधनों का एक स्नैपशॉट (Snapshot) प्रदान करता है ।
- इन संशोधनों का उद्देश्य नीलामी के लयि अधकि खनजि ब्लॉकों की पहचान करना और इस प्रकार अन्वेषण एवं उत्पादन की गति को बढ़ाना था जसिके परिणामस्वरूप देश में खनजिों की उपलब्धता में सुधार हुआ तथा इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई ।

खनजि (नीलामी) नयिम, 2015:

- अन्य बातों के साथ-साथ समग्र लाइसेंस के लयि ऐसे ब्लॉकों की नीलामी को सक्षम बनाने हेतु बोली सुरक्षा, प्रदर्शन सुरक्षा और अन्य पात्रता शर्तों को नरिधारति करने के लयि इसमें संशोधन कयिा गया ।
- भारतीय भूवैज्जानकि सर्वेक्षण (GSI) ने संभावति बोलीदाताओं और अन्य हतिधारकों की सहायता के लयि ऑनलाइन कोर बज्जिनेस इंटीग्रेटेड ससि्टम प्रोजेक्ट (ओसीबीआईएस) पोर्टल में भू-वैज्जानकिों के लयि संभावति क्षेत्रों हेतु आधारभूत भू-वज्जान डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है ।

प्रमुख बदि

- **खनजि (खनजि सामग्री के साक्ष्य) द्वतिय संशोधन नयिम, 2021:**
 - यह कसिी भी व्यक्ती (जो नीलामी में भाग लेने का इरादा रखता है) को समग्र लाइसेंसिा प्रकरयिा के लयि नीलामी हेतु उपयुक्त ब्लॉक प्रस्तावति करने में सक्षम करेगा, जहाँ उपलब्ध भू-वज्जान डेटा के आधार पर ब्लॉक की खनजि क्षमता की पहचान की गई है ।
 - राज्य सरकार द्वारा गठति एक समतिा इस प्रकार प्रस्तावति ब्लॉकों की खनजि क्षमता का आकलन करेगी और नीलामी के लयि ब्लॉक की

सफ़ाई करेगी।

■ खनजि (नीलामी) चौथा संशोधन नयिम, 2021:

- यह प्रावधान करेगा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों को नीलामी के लिये अधिसूचित किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों की नीलामी में बोली सुरक्षा राशि की केवल आधी राशि जमा करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- सभी मामलों में खनन पट्टा क्षेत्र के आंशिक समर्पण की अनुमति दी गई है।
 - अभी तक आंशिक समर्पण की अनुमति केवल वन संबंधी मंजूरी न मिलने की स्थिति में ही दी जाती थी।
- खनन या खनजि प्रसाधन के दौरान उत्पन्न होने वाले थ्रेशोल्ड मूल्य से नीचे के ओवरबर्डन/अपशॉट रॉक/खनजि के निपटान की अनुमति देने के लिये भी प्रावधान शामिल किया गए हैं।
 - खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिये न्यूनतम क्षेत्र सीमा को 5 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर कर दिया गया है। कुछ वशिष्ट जमाओं के लिये यह न्यूनतम 2 हेक्टेयर भी है।

■ उद्देश्य:

- नीलामी के लिये अधिक खनजि ब्लॉकों की पहचान करना और इस प्रकार अन्वेषण एवं उत्पादन की गति में वृद्धि करना, जिसके परिणामस्वरूप देश में खनजिों की उपलब्धता में सुधार हो सकेगा।

■ महत्त्व:


- यह नीलामी में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
- यह राज्य सरकारों को समग्र लाइसेंस की नीलामी के लिये और अधिक ब्लॉकों की पहचान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

■ खनन से संबंधित पहलें:

- [राष्ट्रीय खनजि नीति 2019](#)
- नीलाम किया गए ग्रीनफील्ड खनजि ब्लॉकों का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने हेतु पहल शुरू की गई है।
- खनन क्षेत्र में करों को युक्तिसंगत बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
- 'आत्मनिर्भर भारत योजना' के तहत खनजि क्षेत्र में नजि नविश बढ़ाने और अन्य सुधारों की घोषणा की गई है।
- [जिला खनजि फाउंडेशन निति](#)

भारत में खनजि:

- भारत खनजि संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। **अन्वेषणों में 20,000 से अधिक ज्ञात खनजि जमा** और 60 से अधिक खनजिों के पुनर्प्राप्ति योग्य भंडार पाए गए हैं।
- भारत के 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक) में कुल परिचालन खदानों की संख्या का **90% हिस्सा** है।
- विश्व स्तर पर भारत को क्रोमाइट, लौह अयस्क, कोयला और बॉक्साइट जैसे मूल्यवान खनजिों के प्रमुख **उत्पादकों में से एक के रूप में स्थान** दिया गया है।
- भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र **लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर** है, जिसमें से खनन पट्टा (ईंधन, परमाणु और लघु खनजिों के अलावा) लगभग 0.14% है, जिसका बमुश्किल 20% खनन किया जाता है।
- भारतीय उप-मृदा तटवर्ती और अपतटीय कच्चे तेल एवं गैस, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, आदि से समृद्ध है।
- भारत **95 खनजिों का उत्पादन** करता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धातु, 23 गैर-धातु, 3 परमाणु और 55 लघु खनजि (भवन और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।



स्रोत: पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishitias.com/hindi/printpdf/amendment-to-minerals-rules>